छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 6, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :–

(i) 112/सीएसईआरसी/ 2025, दिनांक 22 अगस्त, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (पांचवा संशोधन), 2025 तथा

(ii) 113/सी.एस.ई.आर.सी./2025, दिनांक 20 नवम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह),कंपनी अधिनियम, 2013 (कमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ का तेरहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री केदार कश्यप, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल–5/107/2025–ट्रान्सपोर्ट, दिनांक 2 जनवरी, 2026 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :–

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(5) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024–25 (दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक) पटल पर रखेंगे।

(6) गुरू खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) पटल पर रखेंगे।

3. नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

4. नियम 267–क के अधीन नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 70, नवागढ़ के सदस्य, श्री दयालदास बघेल को फरवरी–मार्च, 2026 सत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2026 से दिनांक 27 फरवरी, 2026 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 01, भरतपुर–सोनहट की सदस्य, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता को फरवरी–मार्च, 2026 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

क्रमशः 3

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सोमनापुर नया में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
(ii) ग्राम कारेसरा में प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन करने,
(iii) ग्राम कड़कड़ा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
(iv) ग्राम सेमरहा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
(v) ग्राम ढोरली में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
(vi) ग्राम पौनी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
(vii) ग्राम झिरौनी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,
(viii) ग्राम केशलीखुर्द में हाफ नदी पर पुल निर्माण करने,
(ix) ग्राम डोंगरियाकला से पांडातराई तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
(x) ग्राम बानो से गुढ़ा तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(2) श्री रोहित साहू, सदस्य, राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) जिला मुख्यालय गरियाबंद में कन्या छात्रावास खोलने,
(ii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजिम का उन्नयन सिविल अस्पताल में करने,
(iii) जिला मुख्यालय गरियाबंद में महिला थाना खोलने तथा
(iv) जटियाटोला–कनसिंघी के पास सूखा नदी में बैराज निर्माण करने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

9. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, द्वारा दिनांक 23 फरवरी,2026 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 24 फरवरी, 2026